सं. 82] नई दिल्ली, सोमवार, मई 22, 2006/ज्येष्ठ 1, 1928
No. 82] NEW DELHI, MONDAY, MAY 22, 2006/JYAISTHA 1, 1928

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 18 मई, 2006

सं. टीएएमपी/82/2003-सीसीटीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, संलग्न आदेशानुसार, दिनांक 4 मई, 2004 के आदेश द्वारा निर्धारित चेन्नई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता का विस्तार करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी/82/2003-सीसीटीएल

चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड — आवेदक

आदेश

(मई, 2006 के 11वें दिन पारित)

यह प्रकरण, मामला सं. टीएएमपी/82/2003-सीसीटीएल में पारित दिनांक 4 मई, 2004 के आदेश द्वारा निर्धारित चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (सीसीटीएल) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. इस प्राधिकरण के दिनांक 4 मई, 2004 के आदेश द्वारा निर्धारित सीसीटीएल के दरमान को, भारत का राजपत्र में, 21 मई, 2004 को अधिसूचित किया गया था, जो अधिसूचना की तिथि से 15 दिन की समाप्ति होने के बाद, दिनांक 5 जून, 2004 से लागू हो गया था। संशोधित दरमान की वैधता को 2 साल के लिए आदेशित किया गया था जिसके पश्चात्, जैसाकि दिनांक 4 मई, 2004 के आदेश में बताया गया था, जब तक इस प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से विस्तारित नहीं किया जाता है, उसे प्रदान किया गया अनुमोदन स्वत: समाप्त हो जाएगा।

3. सीसीटीएल ने अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु इस प्राधिकरण के समक्ष दिनांक 18 अप्रैल, 2006 का अपना प्रस्ताव दाखिल किया है जिसे परामर्श के लिए ले लिया गया है। प्रारंभ की गई परामर्श प्रक्रिया पूर्ण होने के लिए और कुछ समय लेगी तथा इस मामले में लंबित आगामी कार्रवाई के मद्देनजर सीसीटीएल द्वारा दाखिल प्रस्ताव को निपटान के लिए समय लगेगा। अत: सीसीटीएल के दरमान की वैधता को 4 जून, 2006 से आगे विस्तार प्रदान किया जाना है।

4. परिणामस्वरूप, और समस्त विचार विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण सीसीटीएल के वर्तमान दरमान की वैधता को 4 जून, 2006 से आगे छ: माह की अवधि तक अथवा अपने दरमान के सामान्य संशोधन हेतु सीसीटीएल द्वारा दाखिल प्रस्ताव पर, इस प्राधिकरण द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश की कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि—इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/2005/असा.]